न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

अपील एल.आर. संख्या 95/2016/ जिला–नागौर

1. प्रेमसुख पुत्र मोहनराम
2. रामदेव सिंह पुत्र मोहनराम
   जाति जाट निवासीगण बासनी सेजा तहसील मेड़ता जिला नागौर।

———अपीलांट्स

बनाम

1. मांगूराम पुत्र जयराम जाति जाट निवासी बासनी सेजा तहसील मेड़ता जिला नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मेड़ता
3. पटवारी हलका बासनी सेजा, तहसील मेड़ता जिला नगौर।
4. कल्याण सिंह पुत्र बाघ सिंह जाति राजपूत निवासी बासनी सेजा तहसील मेड़ता जिला नागौर।

———–रेस्पोन्डेन्ट्स

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता दिनांक 04–12–2014
अपील संख्या 267/2013 बउनवान मांगूराम बनाम तहसीलदार मेड़ता

———

उपस्थित– 1. श्री दिलीप सिंह अभिभाषक, अपीलांट
2. श्री शंकरलाल चौधरी, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांकः– 29–09–2017

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मांगूराम पुत्र जयराम ने उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 क्रमशः तहसीलदार व पटवारी हलका के विरूद्ध इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि मौजा बासनी सेजा की सरहद में स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 97 कुल रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा में खेत खसरा नम्बर 97/172 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा

प्रार्थी का काश्त व कब्जाशुदा आया हुआ है जो कि खसरा संख्या 90 गैर मुमकिन रास्ता के दक्षिण व प्रार्थी के खसरा संख्या 99 के पश्चिम में चिपते हुए आई हुई हैं इसके चारों तरफ पक्की दीवार निकाली हुई हैं मगर नक्शा ट्रेस में अलग से तरमीम किया हुआ नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता ने अपीलांट को तहसीलदार, मेड़ता द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर गौर किये बिना एवं अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना एकपक्षीय अवैधानिक निर्णय दिनांक 4–12–2014 में अंकित कर दिया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मांगूराम का कब्जा काश्त ग्राम बासनी सेजा आराजी खसरा नम्बर 566, 567, 568 रकबा 0.09 हैक्टर व खसरा नम्बर 569 रकबा 0.49 हैक्टर में से 0.21 हैक्टर उत्तराधा कुल रकबा 0.40 हैक्टर पर है। खसरा संख्या 568, 574 राजकीय भूमि किस्म बारानी–3 है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 कल्याण सिंह की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 569 रकबा 0.49 हैक्टर पर दर्ज है जबकि कब्जा काश्त 0.28 हैक्टर व खसरा संख्या 574 रकबा 0.22 हैक्टर में से 0.21 हैक्टर कुल रकबा 0.49 हैक्टर पर मानकर उक्तानुसार संशोधन किया जाना उचित मानकर मौजा बासनी सेजा के खसरा नम्बर 566 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन, 567 रकबा 0.09 हैक्टर गैर मुमकिन, खसरा संख्या 568 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा संख्या 569 रकबा 0.49 हैक्टर में से 0.21 हैक्टर उत्तराधा कुल रकबा 0.40 हैक्टर भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मांगूराम की खातेदारी में व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 कल्याणसिंह के आराजी खसरा नम्बर 569 रकबा 0.49 हैक्टर में से 0.28 हैटर व खसरा संख्या 574 रकबा 0.22 हैक्टर में से 0.21 हैक्टर किस्म बारानी–3 कुल रकबा 0.49 हैक्टर खातेदारी में दर्ज कर राजस्व रेकार्ड मे शुद्धिकरण के अपने निर्णय दिनांक 4–12–2014 द्वारा पारित कर दिये। आराजी खसरा संख्या 568 राजस्व रेकार्ड में सरकारी भूमि दर्ज है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 सरकारी भूमि आराजी खसरा संख्या 568 पर कब्जा कर खसरा संख्या 568 पर चालू रास्ता बन्द करने पर आमादा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–12–2014 पारित किया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 31–8–2016 को अपीलांट को धमकी दी कि आराजी खसरा नम्बर 568 उसके नाम दर्ज करने का निर्णय उपखण्ड अधिकारी कोर्ट से हो चुका है उक्त भूमि पर आने जाने हेतु कायम रास्ता बन्द किया जायेगा। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा न्यायालय के निर्णय बाबत कहने पर प्रार्थी दिनांक 31–8–2016 को उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के न्यायालय में गया तो उक्त निर्णय की जानकारी की तो सर्व प्रथम दिनांक 1–9–2016 को निर्णय दिनांक 4–12–2014 के बारे में जानकारी

हुई। प्रार्थी ने दिनांक 1–9–16 को निर्णय प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थी को दिनांक 5–9–2016 को प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त हुई। तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा अभिभाषक से विधिक राय प्राप्त कर रूप्ये आदि की व्यवस्था कर 5–9–2016 को अजमेर आकर अपील तैयार करवाकर दिनांक 5–9–16 अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के आदेश की पालना में तहसीलदार मेड़ता ने मौका रिपोर्ट दिनांक 26–10–2012 प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट में अंकित किया कि मौजा बासनी सेजा आराजी खसरा संख्या 568 की खातेदारी सेटलमेंट विभाग ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की दर्ज नहीं करके सरकारी खाते में दर्ज कर दिया गया जो गलत है। अतः खसरा संख्या 568 रकबा 0.09 हैक्टर को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मांगूराम की खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित है। उक्त एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित कर सरकारी भूमि खसरा संख्या 568 रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज करने के विधिविरूद्ध आदेश पारित किये है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत दादरसी चाही वे धारा 136 के दायरे से बाहर होने से प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं था। राजस्व रेकार्ड में दर्ज राजकीय भूमि को धारा 136 के तहत खातेदारी की घोषणा नहीं की जा सकती। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 नियमित वाद के जरिये ही दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी था। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियमित वाद प्रस्तुत नहीं कर धारा 136 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो चलने योग्य नहीं था। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा साबिक आराजी खसरा नम्बरान का रकबा किस प्रकार नये भू–प्रबन्ध के दौरान गलत दर्ज कर दिया गया यह भी सिद्ध नहीं किया गया । साबिक आराजी खसरा संख्या 97/173 हाल आराजी खसरा संख्या 564, 565 व 570 जो कि अपीलांट के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर अपीलांट सरकारी भूमि खसरा संख्या 568 पर कायम रास्ते से आता जाता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का रास्ता बन्द करने जैसा निर्णय पारित कर भारी भूल की है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट की भूमि का जिक्र अपने प्रार्थना पत्र में किया किन्तु अपीलांट्स को पक्षकार नहीं बनाया व

न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उक्त खसरा नम्बरान बाबत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई मौका रिपोर्ट भी नहीं मंगवाई गई।

उनका यह भी कथन कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में अंकित किया कि प्रार्थी मांगूराम के खातेदारी की जमीन जो पुराने खसरा संख्या 97/172 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के नये खसरा संख्या 566 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन बेरा व खसरा संख्या 567 रकबा 0.09 हैक्टर गैर मुमकिन सड़ा कायम किया तथा गैर मुमकिन मगरा जो पुराने खसरा संख्या 97 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा थी उसके गलत रूप से पुनः सेटलमेंट में नये खसरा संख्या 568 रकबा 0. 09 हैक्टर, खसरा संख्या 571 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा संख्या 574 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा संख्या 575 रकबा 0.08 हैक्टर गैर मुमकिन मगरा कायम किये। अधिनस्थ न्यायालय ने आराजी खसरा संख्या 658, 571, 574 व 575 के संबंध में रेस्पोन्डेन्ट के प्रार्थना पत्र के कथनों के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं कर भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने मिलान क्षैत्रफल का सही अवलोकन नहीं कर उसके आधार पर निर्णय पारित कर विधिक भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–12–2014 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधिनस्थ न्यायलय के समक्ष विचाराधीन अपील जिसमें दिनांक 7–9–2017 को अपीलांट की बहस सुनकर प्रकरण को वास्ते सुरक्षित रखा गया था तथा रेस्पोन्डेन्ट को लिखित बहस प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे। अपीलांट प्रेमसुख पुत्र मोहनराम एवं रामदेव सिंह पुत्र मोहनराम ने उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–12–2014 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की है और अपने आपको प्रभावित पक्षकार मानते हुए अपील पेश की है जबकि अपीलांट की आराजी खसरा नम्बर 549, 563, 564, 565, 570 बाबत रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मांगूराम पुत्र जयराम ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई क्लेम प्रस्तुत नहीं किया और ना ही उपरोक्त खसरा नम्बरों की भूमि बाबत कोई क्लेम किया है क्योकि रेस्पोन्डेन्ट को अपीलांट की खातेदारी आराजी को कोई संबंध व सरोकार व लेना देना नहीं है। अपीलांट उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–12–2014 से किसी भी रूप से व्यथित पक्षकार नहीं है। उनको अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वे व्यथित पक्षकार नहीं है क्योंकि मांगूराम पुत्र जयराम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मांगूराम को सरकारी भूमि खसरा नम्बर 568 रकबा 0.09 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 569 जो कल्याण सिंह पुत्र बाघ सिंह की आराजी है उसमें से 0.21 हैक्टर भूमि दी है और उस भूमि के वापस रकबा पूर्ति के लिए कल्याण सिंह पुत्र बाघ सिंह को खसरा नम्बर 574 में से 0.21 हैक्टर भूमि वापिस अंकित की है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अपीलांट प्रेमसुख व रामदेव सिंह किसी भी रूप में प्रभावित पक्षकार नहीं है क्योंकि उनकी खातेदारी खसरा नम्बरों में से रेस्पोन्डेन्ट को कोई

आराजी नहीं दी गई है। इसलिए उनके द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–12–2014 यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार सेटलमेन्ट ऑपरेशन के तहत किये गये गलत इन्द्राज को लैण्ड रेकार्ड ऑफिसर को सही करने का अधिकार है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 549, 563, 564, 565 व 570 बाबत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई क्लेम प्रस्तुत नहीं किया। अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से किसी भी रूप में व्यथित पक्षकार नहीं है। अपीलांट की आराजी खसरा नम्बरान में से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को कोई भूमि भी नहीं दी गई है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट के आधार पर विवादग्रस्त आराजियात को खातेदारी में दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में शुद्धिकरण के आदेश पारित किये है। जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील सारहीन एंव तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) मेड़ता का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–12–2014 अन्तर्गत अपील संख्या 267/2013 बउनवान मांगूराम बनाम तहसीलदार मेड़ता यथावत कायम रखा जाता है।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर